न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 71/2010 (उदयपुर डिक्री)

स्वर्गीय भैरूलाल पिता श्री रूपलाल जी सावली के बजाय :–

1/1. श्रीमती प्यारी बाई पत्नी स्वर्गीय भैरूलाल जी सालवी, निवासी सीसारमा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/2. कैलाश पिता स्वर्गीय भैरूलाल जी सालवी, निवासी सीसारमा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/3. मदन पिता स्वर्गीय भैरूलाल जी सालवी, निवासी सीसारमा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/4. सुनील पिता स्वर्गीय भैरूलाल जी सालवी, निवासी सीसारमा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/5. श्रीमती कमला पत्नी स्वर्गीय विनोद जी सालवी पुत्री स्वर्गीय भैरूलाल जी सालवी, निवासी सीसारमा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/6. विशाल पिता स्वर्गीय विनोद जी सालवी, निवासी सीसारमा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/7. सुश्री वैशाली पुत्री स्वर्गीय विनोद जी सालवी, नाबालिग जरिये बविलायात माता श्रीमती कमला पत्नी स्वर्गीय विनोद जी सालवी, निवासी सीसारमा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/8. सुश्री खुशी पुत्री स्वर्गीय विनोद जी सालवी, नाबालिग जरिये बविलायात माता श्रीमती कमला पत्नी स्वर्गीय विनोद जी सालवी, निवासी सीसारमा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/9. श्रीमती पीजा उर्फ विजया पुत्री स्वर्गीय भैरूलाल जी सालवी पत्नी उंकारलाल जी सालवी, निवासी पायड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

1/10. श्रीमती सुन्दर पुत्री स्वर्गीय भैरूलाल जी सालवी पत्नी शान्तिलाल जी सालवी, निवासी देवाली, फतहपुरा, उदयपुर (राज.)

1/11. श्रीमती रेखा पुत्री स्वर्गीय भैरूलाल जी सालवी पत्नी नन्दलाल जी सालवी, निवासी रामगिरी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

1/12. श्रीमती सरोज उर्फ कुशल पुत्री स्वर्गीय भैरूलाल जी सालवी पत्नी जगदीश जी सालवी, निवासी पायड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

1/13. श्रीमती कलावती पुत्री स्वर्गीय भैरूलाल जी सालवी पत्नी कुन्दन जी सालवी, निवासी मान सरोवर कॉलोनी, भुवाणा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. स्वर्गीय देवीसिंह गोद पुत्र श्री गणेशसिंह जी राजपूत के बजाय :–

1/1. श्रीमती देवली पत्नी स्वर्गीय देवीसिंह जी राजपूत, निवासी बड़ा हवाला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/2. केसर सिंह पिता स्वर्गीय देवीसिंह जी राजपूत, निवासी बड़ा हवाला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/3. सोहन सिंह पिता स्वर्गीय देवीसिंह जी राजपूत, निवासी बड़ा हवाला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/4. नन्द सिंह पिता स्वर्गीय देवीसिंह जी राजपूत, निवासी बड़ा हवाला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/5. श्रीमती पुष्पा पुत्री स्वर्गीय देवीसिंह जी पत्नी भंवरसिंह जी राजपूत, निवासी नाई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

2. रोशनलाल पिता मोहनलाल जी तेली, निवासी सज्जनगढ़ रोड़, उदयपुर।

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 29.03.2010 प्र. सं. 710/02

–––/–––

उपस्थित(वक्त बहस) 1. श्री कन्हैयालाल चोर्डिया अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री गोपालदास सनाढ्य अभिभाषक रेस्पो॰सं॰ 1 व 2

–––:::–––

निर्णय **दिनांक 19–04–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलान्ट द्वारा प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सीसारमा में वादपत्र की कलम संख्या 1 अनुसार खाता संख्या 801 की कुल किता 5 रकबा 0.5200 हैक्टर तथा खाता संख्या 852 कुल किता 3 रकबा 0.4600 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त खाता संख्या 801 में वादी का आधा हिस्सा तथा कुंए में आधा हिस्सा है एवं प्रतिवादी संख्या 1 का आधा हिस्सा था। इसी प्रकार खाता संख्या 852 में वादी का आधा हिस्सा और कुंए

में आधा हिस्सा है तथा आधा हिस्सा स्वर्गीय सोहनीबाई पत्नी गणेशसिंह राजपूत का था, जो उसकी मृत्यु के पश्चात विरासत से नामान्तरकरण संख्या 2332 दिनांक 02–07–2002 से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। वादी उक्त भूमियों पर वर्षो से बिना बेरोकटोक काबिज चला आ रहा है, लेकिन अभी कुछ दिन पूर्व प्रतिवादी संख्या 2 ने वादी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया तथा विरोध करने पर लड़ाई झगड़ा किया तथा कहा कि उसने प्रतिवादी संख्या 1 से यह आराजियात क्रय की है इसलिए वादी अपना कब्जा हटा लेवे तथा वादी के कब्जे काश्त में दखल कर हरे पेड़ काटकर ले गये, जबकि प्रतिवादी संख्या 2 को वादी को कब्जे से बेदखल करने का कोई अधिकार नहीं है। अतएवं निवेदन किया कि प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें तथा पेड़ आदि नहीं कांटे तथा जब तक प्रतिवादी संख्या 2 वादी के विरूद्ध विभाजन की डिक्री प्राप्त नहीं कर लेवे तब तक वादग्रस्त आराजियात का कब्जा प्राप्त नहीं करें।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का वादग्रस्त आराजियात एवं चाह में आधा हिस्सा होना स्वीकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नी का स्वर्गवास होने एवं विरासत से प्रतिवादी का नामान्तरकरण खुलने का कथन सही है। वादी ने बेबुनियाद एवं मिथ्या वाद प्रस्तुत किया है। विशेष कथन में कहा कि नामान्तरकरण संख्या 732 दिनांक 27–01–1993 उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के प्रकरण संख्या 33/2002 निर्णय दिनांक 06–07–2002 के अनुसार आराजी नंबर 2664, 2671, 2672 रकबा 0.4600 हक्टर भूमि सोहनबाई पत्नी गणेशसिंह के नाम तथा आराजी नंबर 2661, 2665 से 2668 रकबा 0.5200 हैक्टर देवीसिंह पिता गणेशसिंह राजपूत के नाम एवं आराजी नंबर 2676, 2674, 2673 व 2677 किता 4 रकबा 0.9450 हैक्टर भूमि भैरूलाल पिता रूपलाल के नाम दर्ज करने के आदेश हुए थे एवं उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया गया। इस प्रकार वादग्रस्त आराजियात में चाह में वादी का कहीं भी सहखातेदार की हैसियत से कब्जा नहीं है। इसलिए वादी का वाद निरस्त योग्य है।

प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा भी खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजियात व चाह में वादी का कोई हक व अधिकार नहीं है। उत्तरदाता द्वारा भूमियां विधिवत क्रय की गयी हैं। विशेष कथन में प्रतिवादी संख्या 1 अनुसार ही कथन अंकित किये।

उपरोक्त जवाबदावे का जवाबुल जवाब वादी द्वारा प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी वादग्रस्त चाह से ही फसलों की सिंचाई करता है तथा मौके पर प्रतिवादी संख्या 2 का कोई कब्जा ही नहीं है। नामान्तरकरण संख्या 732 व उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 01–07–2002 की प्रथम बार जानकारी वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के जवाबदावे से हुई। वादी इस प्रकार के नामान्तरकरण से बाध्य नहीं है, क्योंकि उक्त नामान्तरकरण उसे बिना सुने निर्णित किया गया है। संबंधित अधिकारी को क्षेत्राधिकार नहीं होने से पारित निर्णय एवं नामान्तरकरण शून्य है, जिससे वादी बाध्यकारी नहीं है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जवाबुल जवाब के आधार पर निम्नानुसार 5 तनकियात कायम की :–

1. आया वादी वाद की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है ? ....वादी
2. आया प्रतिवादी सं. 2 जब तक विभाजन की डिक्री प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वादग्रस्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त नहीं कर सकता ? ....वादी
3. आया प्रतिवादी सं. 2 की हैसियत अजनवी क्रेता की है ? ....वादी
4. आया प्रतिवादी सं. 1 के जवाब दावे के विशेष कथन में वर्णित प्रकरण संख्या 33 सन् 2002 फैसल दिनांक 06–07–2002 से वादी बाध्य नहीं है ? ....वादी
5. अनुतोष ?

तनकी नंबर 4 अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 5 जा.दी. के तहत दिनांक 08–11–2007 को कायम की गयी है। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की साक्ष्य सबूत के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 29–03–2010 से वादी का वाद साबित नहीं होना मानकर खारिज कर दिया गया, जिससे रूष्ट होकर

अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 26–04–2010 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2 की ओर से वकील श्री गोपालदास सनाढ्य उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि विवादित भूमि कभी कोई विभाजन नहीं हुआ। यदि कोई दस्तावेज अपीलान्ट के परोक्ष में बनाये गये हैं तो उससे अपीलान्ट बाध्य नहीं है। तहसीलदार को उक्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही किये जाने का अधिकार नहीं है। अपीलान्ट अपने 1/2 हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। बिना विधिवत विभाजन अजनवी क्रेता को भूमि में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्ट गरीब अशिक्षित किसान है, जिसका नाजायज लाभ उठाकर रेस्पोन्डेन्ट ने रेकार्ड में कोई परिवर्तन करवाया हो तो इससे अपीलान्ट बाध्य नहीं है। तनकी नंबर 4 का निर्णय नहीं किये जाने से भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष की बहस एवं अपीलान्ट द्वारा लिये गये विभिन्न उजरात पर मनन किया तो यह पाया कि प्रकरण में कायम शुदा तनकियात में तनकी नंबर 4 जो कि इस प्रकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तथा उक्त तनकी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी के जवाबुल जवाब के आधार पर प्रार्थना पत्र आदेश 14 नियम 5 जा.दी. के तहत बनायी गयी थी, जो प्रकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तनकी थी, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार का कोई विवेचन नहीं किया है एवं तनकी नंबर 1 से 3 वादी के विरूद्ध तय किये जाने से इस तनकी का निर्णय भी वादी के विरूद्ध कर

दिया, जबकि प्रकरण में यह तनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण होने से इस तनकी का निर्णय किया जाना आवश्यक था। वैसे भी आदेश 20 नियम 5 जा.दी. के तहत प्रत्येक तनकी पर निर्णय किया जाना आवश्यक होता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नंबर 4 पर किसी प्रकार का विवेचन नहीं किया गया है जो जाब्ता दीवानी के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन है, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–03–2010 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में कायम शुदा तनकी नंबर 4 जो प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण तनकी है, पर उभयपक्षों की साक्ष्य लेकर एवं पुनः सुनकर निर्णय पारित करें तथा उसके अनुसरण में तनकी नंबर 1, 2 व 3 पर पुनः निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 18–06–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 19–04–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.........मुकाम...............**उदयपुर**.............
व इजलास ....**एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰** ....

मूर्ति मंदिर श्री कमलनाथ महादेवजी (तीन देवरी), उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन, उदयपुर व अन्य बनाम **भारत संघ जरिये श्री महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर व अन्य**

अपील नं॰.......**73/2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत ....**उपखण्ड अधिकारी**.....
............**गिर्वा**.......... मुकाम................मुवर्खे.............**24**...............माह..............**05**............**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**25**....माह........**01**.......सन् **2018** रूबरू........**पक्षकारान** व हाजरी..**श्री प्रकाश खत्री/उत्तमप्रकाश आमेटा**.मिनजानिब अपीलान्ट व...**श्री अरूण जैन**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24–05–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**25**......माह.......**01**...........**2018** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील........... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।